न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—493 / 2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या :—296 / 2021

20.09.2021 काराधीन अभियुक्त जितेन्द्र कुमार की ओर से ई—फायलिंग के तहत शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक दिनांक—17.09.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है । आवेदक को संदेह के आधार पर उक्त वाद में अभियुक्त बनाया गया है । सूचिका द्वारा अपने प्राथमिकी में सिर्फ आवेदक का मोबाईल नं0 दर्शाया गया है, परन्तु प्राथमिकी के साथ कॉल डिटेल्स संलग्न नही किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि सूचिका द्वारा सोची समझी साजिश के तहत झूठा मुकदमा कर आवेदक को फंसाया गया है । आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 363 एवं 366 भा0द0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध सूचिका की अवयस्क पुत्री छोटी कुमारी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप है । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । सूचिका की पुत्री छोटी कुमारी का बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय के समक्ष हुई है, जो बंद लिफाफा में अभिलेख पर है । बयान का अवलोकन किया । बयान में छोटी कुमारी की उम्र 16 वर्ष अंकित है । उसने अपने बयान में कही है कि वह जितेन्द्र कुमार के साथ ताराचण्डी घुमने गई थी वहॉ से जितेन्द्र उसे गाडी में बैठाकर जहानाबाद लेकर चला गया, जब उसने विरोध किया तो वह जान से मारने की धमकी दिया तथा वह जहानाबाद से रॉची वाला ट्रेन में बैठा दिया तथा वह स्वयं भी था । रॉची से वह तमिलनाडु ले गया, जहॉ वह फैक्ट्री में काम करता था । वहॉ जबरदस्ती उससे मंदिर में शादी किया । उसने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक / अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

उ0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।